JALAUN POLICE

दिनांक – 25.07.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना कदौरा पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को चोरी के शत-प्रतिशत माल(जेवरात व रुपये) के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

दिनांक 23.07.2025 को वादी द्वारा थाना कदौरा में तहरीरी सूचना दी गयी कि राजकुमार कहार पुत्र नत्थू निवासी ग्राम हरचन्द्रपुर थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा वादी के घर से सोने व चांदी के आभूषण व नगद रूपये चोरी कर लिये हैं। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कदौरा में मु0अ0सं0 122/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 25.07.2025 को थाना कदौरा पुलिस द्वारा रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त राजकुमार कहार उर्फ चुक्खी पुत्र स्व0 नत्थू निवासी ग्राम हरचन्द्रपुर थाना कदौरा जनपद जालौन ग्राम परौसा नहर पुलिया के पास से जेवरात व रुपये के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण से माल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कदौरा में पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त का विवरण-

1. राजकुमार कहार उर्फ चुक्खी पुत्र स्व0 नत्थू उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम हरचन्द्रपुर थाना कदौरा जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण-

1. दो अदद सोने की जंजीर का वजन 10-10 ग्राम (अनुमानित कीमत करीब- 200000/- रु0)
2. एक जोडी बृजवाला 4.4 ग्राम - (अनुमानित कीमत करीब- 45000/- रु0)
3. दो अदद अगूँठी सोने की वजन 5.01 ग्राम (अनुमानित कीमत करीब- 50000/- रु0)
4. तीन जोडी तोडिया का वजन 77.9 ग्राम (अनुमानित कीमत करीब-12000/- रु0)
5. 15000 रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष कदौरा मय टीम।